कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, सरयू क्षेत्र, उ0प्र0, अयोध्या।

पत्रांक 3594 /14–10, दिनांक, अयोध्या, अप्रैल 25 /2025।

सेवा में,

Ads.o.

मुख्य वन संरक्षक/
नोड़ल अधिकारी,
उ0प्र0,लखनऊ।

30.04
APCCF Nodal
AO
29/04/25

विषयः– जनपद बाराबंकी में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत एवं उ0प्र0, प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा मान्यता प्राप्त शेरेवुड कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग रिसर्च एवं टेक्नोलॉजी के मार्ग निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के **Ex Post facto** अन्तर्गत लखनऊ फैजाबाद मार्ग पर कि0मी0 18–19 के मध्य दायी पटरी पर 0.063404 हे0 संरक्षरित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। **proposal No. FP/UP/Others/29655/2017**

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अलीगंज,लखनऊ का पत्रांक 8बी0/यू0पी0/06/68/2021/एफ0सी0/134,दिनांक 03.12.2024 एवं आपका पत्रांक 1519/11–सी **FP/UP/Others/29655/2017** दिनांक 05.12.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, बाराबंकी वन प्रभाग बाराबंकी ने अपने कार्यालय पत्रांक 4980/14–4–4 दिनांक 06.03.2025 (जो अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है) द्वारा बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गयी है। उक्त प्राप्त आख्या की प्रति संलग्न कर सादर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(समीर कुमार)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी, सरयू क्षेत्र, अयोध्या।

पत्रांक / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, बाराबंकी को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(समीर कुमार)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी सरयू क्षेत्र,अयोध्या।

D.Man

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी बाराबंकी वन प्रभाग, बाराबंकी
पत्रांक 4980/14–4–4 दिनांक, बाराबंकी 6/3/ 2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
सरयू वृत्त उ0प्र0 अयोध्या।

विषय जनपद बाराबंकी में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत एवं उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा मान्यता प्राप्त शेरेवुड कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग रिसर्च एवं टेक्नोलॉजी के मार्ग निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के **Ex Post facto** अर्न्तगत लखनऊ फैजाबाद मार्ग पर किमी0 18–19 के मध्य दायीं पटरी पर 0.063404 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।
Proposal No-FP/UP/Others/29655/2017

सन्दर्भ भारत सरकार पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अलीगंज, लखनऊ का पत्रांक 8बी0/यू0पी0/06/68/2021/एफ0सी0/134, दिनॉक 03.12.2024 मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक 1519/11–सी FP/UP/Others/29655/2017 दिनॉक 05.12.2024।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित्र पत्र के अनुपालन में सूचना निम्न प्रकार आपकी सेवा में प्रेषित है।

क्र0सं0	आपत्ति	आख्या
1	As per condition no. 06 of In-principle approval, DFO is authorized to file a case in competent court for violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam. 1980 as per MoEF&CC guidelines dated 15.05.2023	प्रयोक्ता अभिकरण के विरूद्ध एच 2 केस निर्गत कर विधिक कार्यवाही की गयी। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 05 Time Penal NPV जमा की गयी है तथा अवगत कराया गया है कि मुख्य मार्ग से कॉलेज के बीच के रास्ते का उपयोग विद्यालय में शिक्षारथ/छात्र छात्राओं के आवागमन हेतु किया जाता है इसमें किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही किया गया है एवं उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में पुर्नविचार हेतु अनुरोध किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)
2	As per condition no. 07 of In-principle approval, Action should be initiated against forest officials for not being able to prevent use of forest land for non-forestry purpose without prior approval of Central Govt., and status report be submitted by Govt. of UP within 15 days.	उक्त बिन्दु के अनुपालन में बिना अनुमति के गैर वानिकी कार्य करने के सम्बन्ध में तत्कालीन अधिकारी/कर्मचारी सेवा निवृत्त हो चुके है तथा वर्तमान में कार्यरत सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी को स्पष्टीकरण जारी करके "चेतावनी" दी गयी है कि यदि भविष्य में इस प्रकार की पुर्नावृत्ति होती है तो उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। (छायाप्रति संलग्न)
3	As per condition no. 09 of In-principle approval, Disciplinary against the erring staff will completed before issuance of Stage-II in the matter.	

संलग्नक : यथोपरि

भवदीय

(आकाश दीप बधावन)
प्रभागीय वनाधिकारी
बाराबंकी वन प्रभाग बाराबंकी

संख्या 4980/14–4–4,उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

(आकाश दीप बधावन)
प्रभागीय वनाधिकारी
बाराबंकी वन प्रभाग बाराबंकी

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी बाराबंकी वन प्रभाग, बाराबंकी

पत्रांक 4694 /14-4-4 बाराबंकी, दिनॉक, 19/02/2025

सेवा में

श्री अनिल कान्त गुप्ता,
उप क्षेत्रीय वन अधिकारी
हरख रेंज।

द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, हरख रेंज।

विषय "चेतावनी" ।

सन्दर्भ इस कार्यालय का पत्रांक 4846/14–4–4, दिनॉक 01.03.2024

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत शेरवुड कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग रिसर्च एवं टेक्नोलॉजी के मार्ग निर्माण हेतु बिना भारत सरकार की अनुमति के गैर वानिकी कार्य (मार्ग निर्माण) कराने तथा उल्लंघन के सम्बन्ध में आप द्वारा उक्त भूमि पर शेरवुड कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग रिसर्च एवं टेक्नोलॉजी धरसनिया, जनपद बाराबंकी द्वारा बिना अनुमति के किये गये गैर वानिकी कार्य को न रोकने के सम्बन्ध में आपको "कारण बताओ नोटिस" निर्गत किया गया था, जिसके क्रम में आप द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, बाराबंकी के माध्यम से आपने अपने उत्तर दिनॉक रहित द्वारा अवगत कराया है कि उक्त गैर वानिकी कार्य अधोहस्ताक्षरी के कार्यकाल से पहले का है तथा प्रार्थी के संज्ञान में आने पर क्षेत्रीय वन अधिकारी के माध्यम से नोटिस निर्गत कराकर समय समय पर कार्यवाही की गयी है तथा मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही नही की गयी है। आप अवगत हैं कि किसी भी वन क्षेत्र में गैर वानिकी कार्य करने पर सम्बन्धित के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत एच–2 केस दर्ज कर विधिक कार्यवाही की जाती है, परन्तु आप द्वारा अपने कार्यकाल में भी संरक्षित वन क्षेत्र में गैर वानिकी कार्य के उल्लंघन के सम्बन्ध में एच–2 केस दर्ज कर कोई कार्यवाही नही की गयी है। जो राजकीय कार्यो के प्रति उदासीनता बरती गयी उक्त कृत्य राजकीय कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम 3 का उल्लंघन है।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको "चेतावनी" दी जाती है कि भविष्य में इस प्रकार पुनरावृत्ति पुनः न होने पाये।

(आकाश दीप बधावन)
प्रभागीय वनाधिकारी
बाराबंकी वन प्रभाग, बाराबंकी।

<u>संख्या 4694 उक्तदिनांकित</u>

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, हरख को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र की एक प्रति श्री अनिल कान्त गुप्ता, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी को प्राप्त कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(आकाश दीप बधावन)
प्रभागीय वनाधिकारी
बाराबंकी वन प्रभाग, बाराबंकी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी बाराबंकी वन प्रभाग, बाराबंकी
पत्रांक 4697 /14-4-4 बाराबंकी, दिनॉक, 19/02/2025

सेवा मे

श्री हरीराम यादव,
वन दरोगा, बाराबंकी रेंज।

द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, बाराबंकी रेंज।

विषय "चेतावनी" ।

सन्दर्भ इस कार्यालय का पत्रांक 4847 / 14–4–4, दिनॉक 01.03.2024

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत शेरवुड कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग रिसर्च एवं टेक्नोलॉजी के मार्ग निर्माण हेतु बिना भारत सरकार की अनुमति के गैर वानिकी कार्य (मार्ग निर्माण) कराने तथा उल्लंघन के सम्बन्ध में आप द्वारा उक्त भूमि पर शेरवुड कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग रिसर्च एवं टेक्नोलॉजी धरसनिया, जनपद बाराबंकी द्वारा बिना अनुमति के किये गये गैर वानिकी कार्य को न रोकने के सम्बन्ध में आपको "कारण बताओ नोटिस" निर्गत किया गया था, जिसके क्रम में आप द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, बाराबंकी के माध्यम से आपने अपने उत्तर दिनॉक रहित द्वारा अवगत कराया है कि उक्त गैर वानिकी कार्य अधोहस्ताक्षरी के कार्यकाल से पहले का है तथा प्रार्थी के संज्ञान में आने पर क्षेत्रीय वन अधिकारी के माध्यम से नोटिस निर्गत कराकर समय समय पर कार्यवाही की गयी है तथा मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही नही की गयी है। आप अवगत हैं कि किसी भी वन क्षेत्र में गैर वानिकी कार्य करने पर सम्बन्धित के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत एच–2 केस दर्ज कर विधिक कार्यवाही की जाती है, परन्तु आप द्वारा अपने कार्यकाल में भी संरक्षित वन क्षेत्र में गैर वानिकी कार्य के उल्लंघन के सम्बन्ध में एच–2 केस दर्ज कर कोई कार्यवाही नही की गयी है। जो राजकीय कार्यो के प्रति उदासीनता बरती गयी उक्त कृत्य राजकीय कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम 3 का उल्लंघन है।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको "चेतावनी" दी जाती है कि भविष्य में इस प्रकार पुनरावृत्ति पुनः न होने पाये।

(आकाश दीप बधावन)
प्रभागीय वनाधिकारी
बाराबंकी वन प्रभाग, बाराबंकी।

संख्या 4697 उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, बाराबंकी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र की एक प्रति श्री हरीराम यादव, वन दरोगा को प्राप्त कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(आकाश दीप बधावन)
प्रभागीय वनाधिकारी
बाराबंकी वन प्रभाग, बाराबंकी।

फाम न0 एच0 2

011

वन विभाग उत्तर प्रदेश

क्रमांक 5?2

क्षेत्रीय निदेशक, सरयू क्षेत्र

बाराबंकी वन प्रभाग

अपराध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा - 33 दिनांक 27.03.2024 रेंज बाराबंकी

रिपोर्ट नं0 वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा - 2,3 रेंज केस नं0 62/2023-24

1. अभियुक्तों का नाम
(1) डा० एस० आर० मुखन्ना पु० अज्ञात

पिता का नाम व पता
निदेशक शेरवुड कालेज ऑफ इन्जीनियरिंग रिसर्च एवं टेक्नोलॉजी धरसनियां बाराबंकी
ग्राम - धरसनियां थाना - कोतवालीनगर तहसील - नवाबगंज जनपद - बाराबंकी
(2) अमित राज पु० अज्ञात नि० - शेरवुड कालेज गदिया बाराबंकी
(3) अन्य अज्ञात लोग नि० - शेरवुड कालेज गदिया बाराबंकी

2. गवाहों के नाम
(1) स्वयं

आत्मज तथा पता
(2) श्री अनिल कान्त गुप्ता उप क्षे० व० अ०

3. कथित अपराधों का पूरा विवरण
लखनऊ - अयोध्या मार्ग किमी. 21-22 के मध्य दोनों पटरी के किनारे संरक्षित वन भूमि ग्राम - धरसनियां तहसील - नवाबगंज जनपद - बाराबंकी में शेरवुड कालेज ऑफ इन्जीनियरिंग रिसर्च एवं टेक्नोलाजी वर्ष 2007 से स्थापित है। इस कालेज प्रबन्धक द्वारा अपने गेट के सामने संरक्षित वन भूमि में बिना

4. अपराध के समय यदि अपराधी का कोई सामान अपराध से सम्वन्धित पकड़ा गया हो तो उसका विवरण
सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये बगैर कालेज में आने-जाने के लिए रास्ता का पक्का निर्माण कर गैर वानिकी कार्य किया जा रहा है। जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा - 33 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 की

5. कुल हानि का मूल्यांकन मुआवज़ा
धारा - 2,3 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

6. वरामद की गई लकड़ियों का विवरण

एवं रखने का स्थान

7. चालान तथा जांच के सम्वन्ध में टिप्पणियां जाँच जारी है।
अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

दिनांक 27.03.2024

केस जारी करने वाले के हस्ताक्षर

पद नाम (हरीराम गौतम)
वन क्षेत्राधिकारी

SHERWOOD EDUCATIONAL CAMPUS

[A Unit of U.S. Srivastava Memorial Educational Society (Regd.)]
Near Safedabad Railway Crossing, Dharsaniya, Barabanki.

Ref : SEC/DGA/2024/399

Date : 07/06/2024

SHERWOOD
College of Engineering Research & Technology
Barabanki.
B.Tech - 281
Polytechnic Diploma
Code - 705

SHERWOOD
College of Pharmacy
Barabanki.
Course - B.Pharma
Code - 269
D. Pharma
Code - 780

SHERWOOD HOSPITAL

SHERWOOD COLLEGE OF NURSING

SHERWOOD INSTITUTE OF PARAMEDICAL SCIENCES
लखनऊ- फैजाबाद रोड
निकट सफेदाबाद (धरसनियां), बाराबंकी
8887497860, 8887497861, 9415301312

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
बाराबंकी।

संदर्भ एवं विषय :– जनपद बाराबंकी में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत एवं उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा मान्यता प्राप्त शेरवुड कालेज ऑफ इन्जीनियरिंग रिसर्च एवं टेक्नोलोजी के मार्ग निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम–1980 के अन्तर्गत लखनऊ–फैजाबाद मार्ग पर किमी0 18–19 के मध्य दायीं पटरी पर 0.063404 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत पत्रांक 8वी/यू0पी0/06/68/2021/एफ0सी0/488 दिनांक 17.01.2024 के अनुपालन मे कार्यवाही के उपरान्त स्वीकृत पत्र के नियम एवं शर्तो मे उल्लेख विन्दु संख्या–06 के पुर्न विचार के सम्बन्ध में अनुरोध पत्र।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषय के संदर्भ में आपसे अनुरोध करना है कि प्रयोक्ता संस्था द्वारा संस्था से मुख्य मार्ग से संस्था पहुचाने हेतु मार्ग के निर्माण के विषय में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पत्र संख्या8वी/यू0पी0/06/68/2021/एफ0सी0/488 दिनांक 17.01.2024 नियम एवं शर्तो के साथ निर्गत किया गया था।

महोदय को अवगत कराना है, कि मुख्य मार्ग से कॉलेज के बीच रास्ते का उपयोग विद्यालय में शिक्षारत छात्र/छात्राओं के आवागमन के लिए ही किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया गया है। यह मार्ग प्रयोक्ता संस्था के लिए अतिआवश्यक है। प्रयोक्ता संस्था ने विभाग द्वारा निर्गत जमा करने हेतु निर्देशित धनराशि सरकारी उचित माध्यम द्वारा दिनांक 13.05.2024 को जमा कर उसकी प्रति कार्यालय में प्रेषित कर दिया है।

क्रमशः पेज–2 पर

Ph. No. - 7376535545, 9935757284, 9415301312, 9451816484
Email : scert@sherwoodindia.in

(2)

अतः उपरोक्त स्वीकृत पत्र शर्त संख्या– 06 के सम्बंध में महोदय से अनुरोध है कि उस पर पुर्न विचार करते हुए आग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करने की कृपा करें।

धन्यवाद सहित।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी बाराबंकी
पंजी स0 9373
फाइल न0 14-4-4
दिनांक 10-06-2014

भवदीय

निदेशक
शेरवुड कालेज ऑफ इन्जीनियरिंग रिसर्च एवं टेक्नोलोजी, बाराबंकी

(Satish Kumar Srivastava)
DIRECTOR
General Administration
Sherwood Educational Campus,
Dharsaniya-Barabanki

भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Regional Office, Lucknow

केन्द्रीय भवन, ग्यारहवां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 11th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696
Email : rocz.lko-mef@nic.in, gnimefrolko@gmail.com

पत्र सं0 : 8बी/यू0पी0/06/68/2021/एफ.सी./134 दिनांक : 03.12.2024

सेवा में,

अति0 मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Others/29655/2017

विषयः जनपद बाराबंकी में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत एवं उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा मान्यता प्राप्त शेरवुड कालेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसर्च एवं टेक्नोलॉजी के मार्ग निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के **Ex-post Facto** के अन्तर्गत लखनऊ–फैजाबाद मार्ग पर किमी0 18–19 के मध्य दांयी पटरी पर 0.063404 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी का पत्रांक 1233/11–सी–FP/UP/Others/29655/2017, दिनांक 06.11.2024.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक पी–5/81–2–2020–800(02)/2021, दिनांक 18.02.2021 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के सम–संख्यक पत्र दिनांक 17.01.2024 द्वारा कतिपय शर्तों के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसकी अनुपालना उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से प्रस्तुत की गयी है। प्रेषित अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या 06, 07 व 09 की अनुपालना प्रेषित नहीं की गयी है। अतः आपसे अनुरोध है कि निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में आगे की कार्यवाई सुनिश्चित की जा सके:–

1. **As per condition no. 06 of In-principle approval,** DFO is authorized to file a case in competent court for violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 as per MoEF&CC guidelines dated 15.05.2023
2. **As per condition no. 07 of In-principle approval,** Action should be initiated against forest officials for not being able to prevent use of forest land for non-forestry purpose without prior approval of Central Govt., and status report be submitted by Govt. of UP within 15 days.
3. **As per condition no. 09 of In-principle approval,** Disciplinary against the erring staff will be completed before issuance of Stage-II in the matter.

Ad.S.O.

भवदीया,

(डॉ0 प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

CCF/Nodal
A.O.
05/12/24

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
3. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, सरयू वृत्त, अयोध्या।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बाराबंकी।
5. निदेशक, शेरवुड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसर्च एण्ड टेक्नोलॉजी, धरसनिया, जनपद–बाराबंकी।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 1519 /11–सी–FP/UP/Others/29655/2017, लखनऊ, दिनांकः दिसम्बर 05 ,2024

प्रतिलिपि– वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0, सरयू वृत्त, अयोध्या को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख ऑनलाइन अपलोड कर इस कार्यालय को एक सप्ताह के अंदर प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, बाराबंकी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख ऑनलाइन अपलोड कर इस कार्यालय को वन संरक्षक के माध्यम से एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि– निदेशक, शेरवुड कालेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसर्च एण्ड टेक्नोलॉजी, धरसनिया, जनपद–बाराबंकी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(बी0 प्रभाकर)

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा०वा०, सरयूवृत्त अयोध्या
पत्रांक 1852/14-10, दिनांक, अयोध्या, दिसम्बर 09/2024

प्रतिलिपि - प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग बाराबंकी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाइन अपलोड कर इस कार्यालय के माध्यम से प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा उसकी प्रति इस कार्यालय को भी भेजें।

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सा० वा०, सरयू वृत्त, उ०प्र०
अयोध्या